भारत निर्वाचन आयोग

नि र्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

सं. 3/ईआर/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/2016 दिनांक : 07 सितम्बर, 2016

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य नि र्वाचन अधिकारी

विषय: सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का स्टोरेज एवं सप्लाई – तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

नि र्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों यथा अभ्यर्थियों का नाम-नि र्देशन, संवीक्षा, अभ्यर्थिताएं वापस लेना, मतदान और मतगणना प्रक्रिया इत्यादि की वीडियोग्राफी/सीसीटीवी द्वारा रिकार्डिंग के संबंध में आयोग द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं। ऐसे मामलों में रिकार्ड किए गए रूप को सहेज कर रखने के लिए आयोग ने नि देश दिए हैं कि ऐसी रिकार्डिंग्स को संबंधित नि र्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से 45 दिनों के समाप्त होने तक जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। यदि उक्त 45 दिनों की अवधि के अंदर कोई ऐसी रिकार्डिंग्स की प्रतियों के लिए आवेदन करता है तो उसे नियम 93 के उप-नियम (2) के अधीन 50/- रू प्रति सी डी के शुल्क का भुगतान करने पर उसकी प्रति उपलब्ध करवा दी जाए। केवल उन्हीं आवेदनों जिन्हें निर्वाचनों के परिणाम की घोषणा के 45 दिनों के अंदर जमा कराया गया है, के सम्बन्ध में सी डी की प्रति की आपूर्ति के लिए विचार किया जाएगा।

2. जहां तक स्थैतिक निगरानी दलों, उड़न दस्तों, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण दलों इत्यादि द्वारा बनाई गई राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों की निर्वाचन संबंधी प्रचार अभियान गतिविधियों की वीडियो रिकार्डिंग्स का संबंध है, इनके रिकार्डेड रूप को निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से 8 महीनों की समाप्ति तक जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा। इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति संबंधित रिकॉर्डिंग की मांग कर सकता है और ऐसे मामलों में ये 50/- रू प्रति सी डी का भुगतान करने पर उपलब्ध कराई जा सकती है।

3. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के पश्चात, यथामामला, 45 दिनों या 8 महीनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति पर यह अभिनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या संबंधित निर्वाचन या निर्वाचकीय अपराध इत्यादि के संबंध में कोई निर्वाचन याचिका या कोई अन्य याचिका/शिकायत इत्यादि दाखिल की गई है जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता हो सकती है। यदि कोई निर्वाचन याचिका या अन्य कोई याचिका इत्यादि लंबित नहीं है तो इस प्रयोजनार्थ निर्धारित सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात सी सी टी वी/वीडियो रिकार्डिंग को नष्ट कर देना चाहिए।

4. यदि किसी न्यायालय में निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन याचिका या कोई अन्य याचिका इत्यादि दाखिल की गई है और उस संबंध में संबंधित रिकार्डिंग की आवश्यकता पड़ सकती है तो रिकार्ड किए गए रूप को ऐसे मामले के निपटान होने तक जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा ताकि यदि कोर्ट इस संबंध में उसे मंगवाता है तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध रखा जा सके।

5. इन अनुदेशों को राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों के निर्वाचनों हेतु रिटर्निंग अधिकारियों सहित अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों तथा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए। इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित राजनैतिक दलों को भी संसूचित किया जाए।

कृपया पावती दें।

भवदीय,

(एन.टी.भूटिया)
अवर सचिव